न्यायालय सि0ज0(प्र0ख0) ,कोर्ट नं015 सुलतानपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या–02 / 2018 एन.आर

रामकिशोर ————————बनाम——————— राज्य उ0प्र0

दि.09.01.18

प्रार्थनापत्र पेश हुई। प्रार्थनापत्र बाबत छूटे देने नोटिस अं0धारा–80(2)जा0दी0 पर सुना।

प्रार्थी रामकिशोर की ओर से विपक्षीगण राज्य उ0प्र0 आदि के विरूद्ध दावा स्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र देते हुए प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि मामला अर्जेन्ट प्रकृति का है। यदि प्रार्थी यदि नोटिस देकर दावा दायर करेंगे तो वाद दाखिल करने का उददेश्य विफल हो जायेगा और प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः धारा–80(2) जा0दी0 की नोटिस देने से छूट प्रदान की जाये ।

विपक्षी उ0प्र0राज्य की ओर से आपत्ति दाखिल की गयी हैं ।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है तथा प्रस्तावित दावे की फोटो प्रति भी दाखिल की गयी है । अतः प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को दावा दायर करने के पूर्व धारा–80(2) जा0दी0 की नोटिस देने से छूट प्रदान की जाती है तथा दावा दाखिल करने की अनुमति दी जाती है ।

sd/09-1-18

सि0ज0(प्र0ख0) ,कोर्ट नं015

सुलतानपुर।

दि.9.1.2018